उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 229वीं बैठक दिनांक 28 जुलाई, 2014 का कार्यवृत्त

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 229वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री सदाकान्त, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे :-

1-	श्री सदाकान्त	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन,उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
		आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
2-	श्री रुद्र प्रताप सिंह	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	सचिव
3-	श्री रंजन मिश्र	वित्त नियंत्रक	सदस्य
4-	श्री अजय कुमार मिश्र	वरि0 नगर नियोजक प्रतिनिधि, मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0	सदस्य
5-	श्री मुकुल जोशी	उप निदेशक,प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यमविभाग	सदस्य
6-	श्री श्रवण कुमार सिंह	अनु सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, नगर विकास	सदस्य
7-	श्री वी.के.एल.श्रीवास्तव	विशेष सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य

सर्वप्रथम अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद ने निदेशक मण्डल तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये :-

विषय सूची

मद सं0	विषय	निर्णय
229/1	परिषद की 228वीं बैठक दिनांक 18 जून, 2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की 228वीं बैठक दिनांक 18.06.14 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
229/2	परिषद की 228वीं बैठक दिनांक 18 जून, 2014 की अनुपालन आख्या।	परिषद की 228वीं बैठक दिनांक-18.06.14 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

अभियन्त्रण अनुभाग

229/3	गोकुल ग्राम योजना सं0-1, मुन्नूखेड़ा, लखनऊ में प्रस्तावित 672 नग अल्प आय वर्ग (जी+3) भवनों के निर्माण कार्य की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त गोकुल ग्राम योजना सं0-1, मुन्नूखेड़ा, लखनऊ में प्रस्तावित 672 नग अल्प आय वर्ग (जी+3) भवनों के निर्माण कार्य हेतु रू0 4323.20 लाख कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।
229/4	गोकुल ग्राम योजना सं0-1, मुन्नूखेड़ा, लखनऊ में प्रस्तावित 864 नग दुर्बल आय वर्ग (जी+3) भवनों के निर्माण कार्य की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त गोकुल ग्राम योजना सं0-1, मुन्नूखेड़ा, लखनऊ में प्रस्तावित 864 नग दुर्बल आय वर्ग (जी+3) भवनों के निर्माण कार्य हेतु रू0 4207.51 लाख कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

समन्वय अनुभाग

229/5	श्री राम कृष्ण गंगवार, अवर अभियन्ता को उनके स्वयं की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे पर निदेशक मण्डल की स्वीकृति प्राप्त किए जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
229/6	वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन।	प्रस्ताव का परीक्षण करके आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रशासन अनुभाग

229/7	नियमित कार्यप्रभारित कर्मचारियों की परिषद सेवाकाल में मृत्यु उपरान्त उनके आश्रित सदस्य को क्षतिपूर्ति के आधार पर परिषद में सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव को शासन संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

229/8	परिषद द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत तलपट मानचित्रों में भूखण्डों को एकीकृत करते हुए मानचित्र स्वीकृत करने के संबंध में।	प्रश्नगत प्रस्ताव का व्यापक परीक्षण करके मापदण्ड/मार्गदर्शन तैयार कर, आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
229/9	मैकेनाईज पार्किंग को स्थल पर सुनिश्चित करने हेतु प्रतिभूति धनराशि के निर्धारण संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

229/10	जागृति विहार योजना संख्या–11, मेरठ में समाविष्ट ग्राम–सराय काजी खसरा संख्या–226 की भूमि का एन0ओ0सी0 दिये जाने के संबंध में।	प्रश्नगत प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में लंबित है तथा यथास्थिति बनाये रखने के आदेश है। अतः प्रस्ताव पर कोई निर्णय लिये जाने का औचित्य नही पाया गया।
229/11	परिषद की दिल्ली बुलन्दशहर बाईपास मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (सिद्धार्थ विहार) गाजियाबाद के अन्तर्गत राधास्वामी पार्क प्लाट होल्डर्स सहकारी गृह निर्माण समिति लि0, गाजियाबाद की भूमि को योजना में समायोजित किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से प्रकरण पर यह विचार किया गया कि दीर्घकाल से मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रकरण लंबित होने के कारण व्यापक परिषद हित में आवास आयुक्त द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों के आधार पर शासनादेश के अनुसार ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड के रूप में समायोजित करने के लिए सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी। परिषद एवं राधास्वामी पार्क प्लाट होल्डर्स सहकारी समिति लि0, गाजियाबाद के मध्य सभी बिन्दुओं पर लिखित सहमति एवं अनुबंध निष्पादन के पश्चात आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

229/12	वृन्दावन योजना संख्या–2 लखनऊ में डिफेन्स कर्मचारी सहकारी आवास समिति की भूमि के सदस्य को वर्तमान दर पर 2000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
229/13	सहकारी आवास समितियों व भूस्वामियों की भूमि के समायोजन हेतु विकास शुल्क के निर्धारण के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त विगत परिषद की 177वीं बैठक दिनांक 29.06.2000 द्वारा परिषद योजना में समायोजित की गयी भूमि पर वर्तमान भूमि दर का 45 प्रतिशत विकास शुल्क लिये जाने की पुरानी व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रशासन अनुभाग

229/14	परिषद में वर्तमान में कार्यरत सहायक वास्तुविद नियोजकों को सहायक अभियन्ताओं की भॉति 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर प्रथम प्रोन्नत वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव शासन संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
229/15	लखनऊ में विश्वस्तरीय मेडीकल सिटी की स्थापना के सम्बंध में।	अमेरिकन प्रवासी भारतीय द्वारा विश्वस्तरीय मेडीकल सिटी की स्थापना के प्रस्ताव पर परिषद द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए निदेशित किया गया कि Tenacity Group से विस्तृत प्रोजेक्ट प्राप्त किया जाय तथा एक समिति गठित कर प्रस्ताव का गुण–दोष के आधार पर परीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।
229/16	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।	

अनुमोदित

(सदाकान्त) 29/7/14

अध्यक्ष

पुष्टि की गयी

अध्यक्ष